न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 33/2020

1 ईसब पुत्र मगतु मृतक।
1/1 कासम पुत्र ईसब उर्फ युसुफ।
1/2 इमरान पुत्र ईसब उर्फ युसुफ।
1/3 जाबीर पुत्र ईसब उर्फ युसुफ।
1/4 शब्बीर पुत्र ईसब उर्फ युसुफ।
1/5 ईकबाल पुत्र ईसब उर्फ युसुफ।
2 अहमद पुत्र मगतु मृतक।
2/1 अदरीस पुत्र अहमद।
2/2 नजमा पुत्री अहमद।
2/3 फरजाना पुत्री अहमद।
2/4 सज्जाद पुत्र अहमद।
3 याकुब पुत्र मगतु।
4 लियाकत पुत्र मगतु।
5 कलसुम पत्नी इस्लाम मगतु।
6 रफीक पुत्र इस्लाम मगतु।
7 रसीद पुत्र इस्लाम मगतु समस्त जाति चेजारा मुसलमान निवासीगण चेजारान कर्बला के पास झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू जरिये मुख्तयार आम सज्जाद पुत्र अहमद जाति चेजारा मुसलमान निवासी चेजारान कर्बला के पास वार्ड नम्बर 58 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बनाम

1 बसीर पुत्र अकबर मृतक।
1/1 मकबुल पुत्र बसीर।
1/2 महमुद पुत्र बसीर।
1/3 रूसतम पुत्र बसीर।
1/4 बिस्लील्ला पत्नी बसीर।
1/5 सलीम पुत्र बसीर।
1/5/1 बानो पत्नी सलीम पुत्र बसीर।
1/5/2 इमरान पुत्र सलीम पुत्र बसीर।
1/5/3 परवेज पुत्र सलीम पुत्र बसीर।
2 यासीन पुत्र महबुब मृतक।
2/1 शाकरून पत्नी यासीन।
2/2 साजीदा पुत्री यासीन।
2/3 फरजाना पुत्री यासीन।
2/4 रशीद पुत्र यासीन।
2/5 वसीम पुत्र यासीन।
2/6 सोयब पुत्र यासीन।
3 नवाब पुत्र महबुब मृतक।
3/1 आमीना पत्नी नवाब।
3/2 रहीसा बानो पुत्री नवाब।
3/3 आरीफ पुत्र नवाब।
3/4 तोफीक पुत्र नवाब।
3/5 अयुब पुत्र नवाब।
4 मुस्लीम पुत्र महबुब।
4/1 मोसीन पुत्र मुस्लिम।
4/2 साजीद पुत्र मुस्लिम।
4/3 खैरून पुत्री मुस्लिम।
5 सलीम पुत्र महबुब।
6 असलम पुत्र महबुब।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

7 सफया पत्नी असगर।
8 शोकत पुत्र असगर।
9 अस्मान पुत्र असगर।
10 ईस्लाम पुत्र असगर।
11 सलाऊदीन पुत्र असगर।
12 मोहम्मद रफीक पुत्र असगर समस्त जाति चेजारा मुसलमान निवासीगण मोहल्ला चेजारान मस्जिद के पास झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू।
14 अब्दुल मजीद पुत्र हुसैन।
15 अब्दुल करीम पुत्र हुसैन।
16 मोहम्मद हसन पुत्र हुसैन।
17 शबनम पुत्री हुसैन समस्त जाति चेजारा मुसलमान निवासीगण चेजारान चुणा चोक वार्ड नम्बर 45 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
18 सुमन देवी पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी लुटटु तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955 अपील
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 08.01.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू दावा बाबत
घोषणार्थ बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी बशीर
बनाम यासीन वगैरह मु.नं. 21/2003

उपस्थिति :

1. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–30.4.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 21/2003 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट 1/1 लगायत 1/5 के पिता स्व. बशीर पुत्र अकबर ने सन 2003 में एक दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में एक दावा बाबत घोषणार्थ बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी बशीर बनाम यासीन वगैरह मु.नं. 21/2003 भूमि खसरा नम्बर पुराना 370/2 रकबा 9 बिघा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 370/3 12 बिघा 06 बिस्वा कुल रकबा 21 बिघा 15 बिस्वा पुख्ता जिसके हाल वर्तमान खसरा नम्बर 901, 902, 903, 904, 905 कुल खसरे 5 कुल रकबा 5.5000 हैक्टेर वाके ग्राम झुन्झुनू के बाबत एक दावा प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त उनवानी दावा दर्ज होने के पश्चात प्रतीवादीगण/रेस्पोडेन्ट व वर्तमान अपीलांटगण की तलबी के पश्चात अपीलांटगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.12.2003 को उपरोक्त उनवानी दावा का जवाब प्रस्तुत किया गया फिर अपीलान्टगण द्वारा पुनः उक्त उनवान दावा में संसोधित जवाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 25.09.2008 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब व दिनांक 04.06.2008 को आदेश 6 नियम 7 व 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि दिनांक 25.09.2008 को स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी दावा संसोधित जवाब दावा में चल रही थी। जिसमें अपीलांटगण द्वारा तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 10.10.2008 को संशोधित जवाब–दावा व काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2012 को वाद वादी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। इसके उपरांत काउंटर क्लेम सुनवाई हेतु चल रहा था। इसमें प्रतिवादी संख्या 20 से 24 ने आदेश 07 नियम 11 आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर काउंटर क्लेम खारिज कर दिया। अपीलांट को इस आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू ने पत्रावली पर उपलब्ध वादी का दावा की प्लीडिंग व प्रतीवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया महज काल्पनीक तथ्यों को आधार बनाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2016 के द्वारा अपीलांटगण का काउंटर क्लेम दावा खारिज करने का आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों के निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित की है प्रकरण में आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान लागु नही होते। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में तारीख पेशी दिनांक 10.12.2015 को न्यायिक कार्य का बहिष्कार था उक्त तारीख पेशी को अधिनस्थ न्यायालय में सभी पत्रावलियों में कोमन तारीख पेशीया लगभग दो माह के बाद की प्रदान की गयी थी जबकि सिर्फ उक्त पत्रावली में ही सिर्फ 5 दिवस की ही तारीख पेशी प्रदान की गयी थी। विचारण न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 15.12.2015 को उक्त उनवानी दावा में तारीख पेशी 16.12.2016 प्रदान की गई थी व न्यायालय की उक्त आदेशिका से छेड़छाड़ भी की गयी थी जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में दिनांक 15.12.2015 न्यायिक कार्य का बहिष्कार था तथा उक्त तारीख पेशी पर न्यायिक कार्य बहिष्कार होने से उक्त दिनांक को न्यायालय की सभी पत्रावलियों में कॉमन तारीख पेशियां लगभग दो माह के बाद की प्रदान की गयी थी जबकि सिर्फ उक्त पत्रावली में ही 1 दिवस की तारीख पेशी प्रदान कर दी गयी थी। विचारण न्यायालय में दिनांक 16.12.2015 को भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार था उक्त तारीख पेशी दिनांक 16.12.2015 को न्यायालय की सभी पत्रावलियों में कॉमन तारीख पेशियां लगभग दो माह के बाद की प्रदान की गयी थी जबकि उक्त दावा की आदेशिका में 16.12.2016 थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2015 को अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर दिये बगैर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

व बगैर सूचना के प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 24 यानी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लगायत 18 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 स्वीकार कर लिया गया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी 19.02.2016 प्रदान की गयी। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 24 यानी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लगायत 18 द्वारा दिनांक 08.01.2016 को एक प्रार्थना पत्र शिघ्र सुनवाई का प्रस्तुत किया गया जिसकी सूचना वादीगण व प्रतिवादीगण को कोई सूचना नही दी गयी जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2016 की पत्रावली दिनांक 08.01.2016 की पेशी में ली गयी व इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 24 यानी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 लगायत 18 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिनांक 08.01.2016 को प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 24 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर लिया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का जबाब भी प्रस्तुत नही हुआ वकील वादी व अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट को भी प्रार्थना पत्र की कोपी उपलब्ध नहीं करवायी गयी व न ही अपीलान्टगण को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया अधिनस्थ न्यायालय में उक्त समस्त कार्यवाही बाला–बाला की गयी है। अपीलान्टगण को निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित होने के रोज अर्थात सुनवाई के रोज गैर हाजरी दर्शाया गया है तथा वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार बताया गया है इस पर अपीलान्टगण व उनके अधिवक्ता के गैर हाजीर रहने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करना चाहिये था न की अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आधार पर अदालत मातहत ने तथ्य व विधि की भुल की है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक की पालना किये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में अपीलांट का काउन्टर क्लेम था। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का काउन्टर क्लेम आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया है। विचारण न्यायालय द्वारा यह आदेश दिनांक 08.01.2016 को पारित किया गया है। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट ने दिनांक 12.03.2020 को अपील प्रस्तुत की है। स्पष्ट है कि अपील चार साल के अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। इस विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नही किया गया है। इसके अभाव में अपीलांट मियाद के बिन्दु पर लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलाक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर